भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2154

(जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

''जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाना''

2154. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद 21.12.2024 को निर्धारित अपनी अगली बैठक में कई सेवाओं और उत्पादों पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद का राज्यों के मंत्रियों के पैनल की सिफारिशों के अनुसार आम आदमी के लिए अनेक मदों पर कर की दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क): जीएसटी परिषद ने 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करने के लिए एक मंत्रिसमूह का गठन किया है। मंत्रिसमूह की कोई रिपोर्ट इस परिषद के विचारार्थ लंबित नहीं है।

(ख) से (घ): उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

*****